

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 107]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 मार्च 2015—फाल्गुन 21, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2015

क्र. डी-15-58-2011-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 नवम्बर 2011 तथा जिसकी कालावधि इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08 जनवरी 2014 से आगामी एक वर्ष के लिये बढ़ाई गई थी। जिसकी अवधि 07 जनवरी 2015 को समाप्त हो गई है।

प्रदेश के कपास उत्पादक किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, कपास पर दी जाने वाली एक प्रतिशत मण्डी फीस से ह्रूट (इस विभाग की पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 नवम्बर 2011 के उपबंधों एवं शर्तों के अनुसार) दिनांक 08 जनवरी 2015 से आगामी एक वर्ष तक बढ़ाई जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2015

क्र. डी-15-58-2011-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 मार्च 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव।

Bhopal, the 12th March 2015

No. D-15-58-2011-XIV-3.—In exercise of the powers conferred under the provisions of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), and subject to the terms and conditions specified in this department's same numbered earlier notification dated 15th November 2011, validity period of which was extended by One year, by the department's same numbered notification dated 8th January 2014, and the period of same has expired on 07th January 2015.

Keeping in view State's Cotton growers interest, the State Government, hereby, w.e.f. 08th January 2015 extends for One year, the exemption of One percent Market Fee on "Cotton" (subject to the terms and conditions specified in this department's same numbered earlier notification dated 15th November 2011).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.